राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांक :–प. 14(1)साप्र/2/22 **जयपुर, दिनांक :** 8/7/22

–: आदेश :–

श्री गौरी शंकर शर्मा, सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर, इनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2030 है, को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमाक प.1(77)साप्र/2/55 दिनांक 05.09.2005 के प्रावधान अन्तर्गत उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या II–1 गांधीनगर, जयपुर का एतद्द्वारा निशुल्क आवंटन किया जाता है:–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वय तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
4. सचिव (जीजी), मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर ।
5. सचिव लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर/शासन सचिवालय जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. **अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावे साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
12. **श्री गौरी शंकर शर्मा, सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।**
13. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव